

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुख्यम

बनाम

01/7/20

नं

सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

23¹¹/₂₂ पीताम्बरी अधिकांश गलतफहमी अन्व कार्यों में
ब्यस्त है। दिनांक को 11/22 पेश हो।

30/22

रौद्र

30¹¹/₂₂ अभिभावक मण्डल से कार्य स्थगित
किया दिनांक 11/22 को पेश हो

02/22

रौद्र

02/22 कोठ मट पत्रावली वाले कोडेश
भाणपत्र 07/21) हेतु पेश हुई। वक्तुलाय
उपाधिकार। अहम के दौरान प्रतिवादी
वकील ने निवेदन किया कि वादी
ने उपरोक्त अनुदान दावा अन्वसर
एक व हुक्म अन्वसर 9 वामी का
प्रतिवादी से 2 डारा प्रतिवादी से
01 के पक्ष में दिनांक 16/12/13
को. लखीर किया गया। शर्तियाई
दानपत्र को शून्य व निवृत्तभावी
वोक्ति किये जाने आकर श्री गज
के न्यायालय में पेश किया है

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

किंगी जी पंजीकृत 2012
दस्तावेज को शून्य व निष्प्रभावी
घोषित करने का अधिकार न्यायालय
की शक्ति में नहीं है। बल्कि सिविल
न्यायालय की है। मुख्य रिफर
Ternavally के declaration के लिए
है। दस्तावेज को शून्य व निष्प्रभावी
करवाना आनुषंगिक रिफर है।
अद्वैत जवाब में कहा है कि केवल
वाद पत्र के प्रसंगों को देखा जाए
कि कौनसे sub rules में 711
कवर होता है। (I) केवल Plaintiff
allegation देखा जाए, मैं महमत
हूँ। (II) Suit का Relief देखें
जिसमें मैं रिफर शून्य व निष्प्रभावी
है। वही अनुसूची के अलावा नहीं
हो सकता। इसलिए दावा maintenance
नहीं है। प्रार्थनापत्र 023R में खुद
ने Accept किया कि पिंडा करना
चाहते हैं। अर्कि सिविल कोर्ट में
दावा है। Trial by Civil Court

फर्क अहकाम

(नियम 26)

मुकाम

बनाम

जं..... सन्.....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

हैं। Section 58 एप्रीजेंट एक्ट के तहत किसी पक्ष को किसी को स्वीकार कर लिया तो उसे भाषित करने की आवश्यकता नहीं है। कतः प्राप्य 0 नर॥ स्वीकार करने का निवेदन किया।

इसके अग्रान्त वादी वकील ने निवेदन किया कि मैंने दार्जे साथ जभाषती सप्ल 2020-2024 पेश की है जो अरण, गोपी सिंह उग्रसालीम मीना आदि हैं। वादी के दावा एवं प्रतिवादी के पक्ष हैं, अरण। अरण से विरासत मुब्बा पर आदि। पैट्रु आराजी है। मेरा 1/12 हिस्सा बनता है। साबिक खसरा नम्बर से नये नम्बर बने हैं। मेरे दार्जे में मैं वादी के हिस्से तक रिलिफ चाहता हूँ, इसके प्राप्य से मुझे कोई तो नहीं है। पैट्रु आराजी है। by बोनम मेरा हिस्सा है। अतः खसरा नम्बरान पर मेरा भूकाना, वादि

तारीख
हुकम

हुकम वा कार्रवाही मय इनिशियलस जज

पत्र बॉन्डने की जाह है कि मैं मूल्य
ने दानपत्र कारा पूरी की पुरवणन के
नाम कर दिया।

023R11 - RTA Sect. 207 - सीटपत्र
एक घोषणा का एक SDO की है।

III अनुष्ठी अनुसार 88 के वाके का
अधिकार SDO की है। मेरे 1/12 हिस्से

पर खालेकारी घोषणा का मांगा है।

आनुषंगिक रिलिफ भी है कि RTA

Section 207 अनुसार राज्य न्यायालय

की ही अज्ञाधिकार है। प्रार्थना पत्र -

ऑर्डर शीट पर लक्षणा की नहीं है।

पत्रपत्र 023R1 में सिविल न्यायालय

में वाक्य देश करने की ^{कोप} शुरुआत है।

Sec 207 के हयत लिखा है कि अपने

हिस्से की खालेकारी घोषणा हेतु रिलिफ

भी यही है कि मेरे हिस्से तक शुल्क

व निवप्रकारी भागा है। इसलिए प्रार्थना

023R11 खारिज है।

इसके प्रत्युत्तर में प्रतिवादी वकील

ने निवेदन किया कि तथ्यों का

7/11 में कोई संबंध नहीं है।

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम

बनाम

नं.....सन्.....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

प्राप्त 0 नर 11 में खोजे गए हैं कि
संस्था के अनुसार भेरा दिया है।
संस्था (भाषण) में आपका हिस्सा है
पहले उसे कराये। किन्तु नतीज पेश की
Sec 207 - Rev. Court - खरीद अमुके
में फिले वार / प्राप्त - Trial
by Revenue Court | क्र. सं. 5-
सिती की (वाले) को खोजे declare
करवाने हेतु documents को Null &
Void करवाने का नहीं है। Sec 31
के अनुसार यदि document voidable
है तो Civil Court में नहीं प्राप्त
गर्ह है।

खुलाश की बहस पर मनन किया
गया एवं पत्रावली का अवलोकन
किया गया। प्राप्त 0 नर 11 दावा
की खातिर करने का प्राप्त है।
वादी का यह कथन सही है कि Sec
207 के अन्तर्गत संस्था का एक
Revenue Court की ही है।

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

विधि द्वारा नार्डित है। स्वयं ही मानते
है कि विधि द्वारा नार्डित है। प्राणपत्र
भी दिया है। दावा खारिज करने का

अंश। प्राणपत्र 03R11 न्यायाधीश में
स्वीकार किया जाता है। अंश कि ऊपर
विवेचित किया गया है कि प्राणपत्र 03R11
दावा खारिज करने का प्रावधान पर है
युक्ति प्राणपत्र 03R11 स्वीकार हो चुका
है। इस कारण दावा वाकी खारिज
किया जाता है। पत्रावली फॉर्मल सुधार
होकर रफिट्यर ने कम भी पत्रों
बाद मर्तें एफिलर दारिकन हो।

SDO